HOLKAR STATE
TEN RUPEES दस रुपए
इन्दौर दरबार

सब रजिस्ट्रार सिटी इंदौर.

ट्रस्ट डीड

शहर इंदौर में एक "श्री वैष्णव सहायक कमेटी" रजि. महाराजा तुकोजीराव क्लाथ मार्केट इंदौर में सनातन धर्मी वैष्णव धर्म के व्यापारियों की है. जिसमें करीब २६ वर्ष से उनका एक फंड (मुद्दत से जमा आता है, जिसका प्रबंध उक्त कमेटी की जनरल और मैनेजिंग कमेटी द्वारा होता रहा है. और जुलाई सन १९३९ की जनरल मीटिंग में [illegible] तारीख २२ [illegible] सन १९३८ ई. के [illegible] २२-१२-३८ ई. [illegible] साहेबों की आमदानी और [illegible] आमदानी ट्रस्ट कायम होने की तारीख तक की [illegible] पूरी, व इस फंड की जो कुछ भी स्थावर जंगम जायदाद है उन सब एक ट्रस्ट कायम करके जिससे [illegible] इस फंड से अब तक जो परमार्थ के कार्य होते रहे हैं वे [illegible] तौर पर होते रहें. उस मुताबिक जनरल मीटिंग में ट्रस्टियों के नाम और उनके कर्तव्य भी मोटे रूप से तय हो चुके थे. उसके अनुसार यह ट्रस्ट का इन्तजाम इस जनरल मीटिंग ने तारीख २५-१२-१९३९ व तारीख २५-२-१९४० [illegible] [illegible] व आखिर चाहे [illegible] [illegible] होते हैं और आशा करते हैं कि ट्रस्टी [illegible] [illegible] उचित रूप से पालन करके इस [illegible] के कार्य को बहुत अच्छी रीति से चलाते रहेंगे.

ट्रस्ट करने वालों के नाम:-

सेठ [illegible] [illegible] (दीवान [illegible]

असल लेख की नकल [illegible] की
[illegible]
[illegible]
[illegible]

HOLKAR STATE
FIVE RUPEES
इन्दौर स्टाम्प

(2) सेठ मथुरालालजी पसारी मा. दु. "[illegible] पसारी" क्षि. सदर

(3) सेठ घनश्यामदासजी पटवा मा. दु. "जमनी-हरदत्तजी शिवप्रसाद" क्षि. सदर.

(4) मेसर्स रतनलालजी रामप्रसादजी [illegible] कैसरीमलजी, क्षि. सदर.

(5) सेठ गोकुलदासजी मा. दु. "तोरनीराम रामनारायण" क्षि. सदर.

(6) सेठ छोगालालजी मा. दु. "छोगालाल गोविंदरामजी" क्षि. सदर.

(7) सेठ मन्नालालजी मा. दु. "मन्नालालजी कसेरा" क्षि. सदर.

ट्रस्ट दस्तावेज की शर्तें

1. इस ट्रस्ट का नाम "श्री भैरवनाथ सहायक ट्रस्ट" महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट शहर इंदौर होगा.

2. इसके कुल ट्रस्टी ९ (नौ) होंगे, जिनके नाम [illegible] है :-

TWO RUPEES
इन्दौर सरकार

ट्रस्टियों के नाम

(१) सेठ प्रह्लाददासजी पसारी मा.दु. "रामरतनजी हिम्मतदासजी" ठि. म. तुकोजीराव क्लाथ मार्केट इंदौर

(२) सेठ गोवर्धनदासजी मुंगड़, मा.दु. "हरखचंद जी मुंगड़" ठि. सदर.

(३) सेठ बलदेवदासजी नागर, मा.दु. "गोविंददास बलदेवदास" ठि. सदर.

(४) सेठ गोपीकिसनजी आगरवाल मा.दु. "मुन्नालाल जी मदनलाल जी" ठि. सदर

(५) सेठ बद्रीनारायण बाफना ठि. सदर.

(६) सेठ रामकिसन जी मुंगड़, मा.दु. "रामनारायण नारायणदास" ठि. सदर

(७) सेठ पन्नालालजी मा.दु. "पन्नालाल जी जौहरीलाल" ठि. सदर.

(८) सेठ गोपीकिसन जी बाहेती मा.दु. "गिरधारीलाल कोदूराम" ठि. सदर

(९) सेठ नाथूलालजी राठी, मा.दु. "तेजपालजी सीताराम" ठि. सदर.

और ट्रस्ट का (कुल काम बहुमत से) किया करेगा. बाकी ट्रस्टियों का चुनाव कर लेगा.

३. इस ट्रस्ट की परिशिष्ट (क १-२-३) में दर्ज के अनुसार स्थावर जायदाद, [illegible], नगदी और हौगों व संस्थाओं के तरफ देना है वह (सुपुर्द किया जाता है.

४. इन ट्रस्टियों को परिशिष्ट (ख १-२) में लिखी हुई चारों संस्थाएं और उनके कई मंदिरों में पूजा नैवेद्य के वास्ते नगदी रकम, इस तरह पांचों काम अब तक होते रहे है, आमदानी के मानसे (उसी ही प्रकार, ट्रस्ट मालियत की आमदानी से चलते रहने चाहिये. मगर ट्रस्ट की मालियत की आमदानी के सिवाय मूल जायदाद या पूंजी वैसी ही कायम रखी जावे. चूंकि अब तक परिशिष्ट (ख १-२) की संस्थाओं के खर्च में करीब १४-१५ हजार रुपये सालाना होते रहे है. परंतु अब जो जायदाद ट्रस्ट में दी गई है (उससे आमदानी कम है. वास्ते आमदानी के मानसे खर- [illegible] संस्थाओं का खर्च भी औसतन कम करके चलाया [illegible] और जैसे (इसकी तरह से ट्रस्ट में इन संस्थाओं [illegible] आमदानी होते जावे तो औसतन खर्च भी उसी ही मानसे बढ़ा दिया जावे, ऐसी होनेवाली आमदानी इन संस्थाओं में जिस संस्था के निमित्त दान हो उसी संस्था में लगा सकेंगे.

५. ट्रस्टी लोग अपने में से हर तीन वर्ष के आखर में एक सभापति, एक मंत्री, और एक खजानची चुन लेंगे. और जैसी भी विषय पर मत बराबर होने की हालत में सभापति को एक और मत देने का अधिकार होगा. और ट्रस्ट की कारवाई के हिसाब बदस्तूर रखा जायगा. पहिला चुनाव इस [illegible]

तारीख से दो माह के अंदर हो जावेगा और इसके बाद में हर तीन वर्ष के आखरी में हुआ करेगा.

६. इस ट्रस्ट का आय व व्यय का हिसाब जांच [illegible] हर दीपावली के बाद दो मास के अंदर ट्रस्टी लोग प्रकाशित कर दिया करेंगे.

७. ट्रस्ट के खजानची अपने पास ज्यादा से ज्यादा १०००) एक हजार रुपया नगद रख सकेंगे और बाकी रकम ट्रस्टी लोग जैसे और जहां मुनासिब समझकर व्यवस्था करेंगे उस प्रकार रखी जावेगी, या लगाई जावेगी. लेकिन कोई भी ट्रस्टी, खजानची के सिवाय, अपने पास या अपनी दुकान में ट्रस्ट की कुछ भी रकम नहीं रख सकेंगे.

८. परिशिष्ट (ख १.२) में बताई हुई सब संस्थाएं हमेशा कायम रखी जावेगी, और उनको ही [illegible] बाकी रकम हमेशा दी जावेगी. और इन संस्थाओं के सिवाय ट्रस्टी लोग इस ट्रस्ट की आमदनी और किसी भी उपयोग में नहीं लगा सकेंगे. ये पांचों संस्थाएं जिस प्रकार समिति और योग्यता से आजतक चलाई जाती है, जहां तक हो सकेगा वैसेही और अगर हो सके उससे भी उत्तम प्रकार से ट्रस्टी लोग चलावेंगे. अगर ट्रस्टियों की समझ में [illegible]

३८२५८
२८-७-९५९

श्री वैष्णव [illegible] कपोटी द्वारा [illegible]

[illegible]

[illegible]

सब रजिस्ट्रार सिटी इंदौर

[illegible]

बह दस्तावेज [illegible] ९ [illegible]

भागके [illegible] ७०३ ९२८

[illegible]

[illegible] ९८/७/५८

[illegible] सिटी इंदौर

को इसका अच्छा उचित रूपसे नहीं होतीहै ऐसा अंचे तो वह रकम बंद करके किसी दूसरे योग्य मंदिर में दे सकते है. इसके रसोभाग और दूसरी रद्दोबदल करने का ट्रस्टीयों को अधिकार नहीं होगा.

९. ट्रस्ट की स्थावर या जंगम जायदाद की आमदानी बढाने के वास्ते ट्रस्टी लोग किसी भी जायदाद का रद्दोबदल कर सकते है, किंतु जहांतक हो सके वहांतक स्थावर जायदाद के एवज में मोके से स्थावर जायदाद ही ली जाना चाहिये और बढी हुई आमदानी का उपयोग भी ट्रस्टी लोग उपरोक्त संस्थाओं में ही कर सकेंगे, अन्यत्र नहीं. इसके अलावा भाडेसे रखना, या बदलना, नौकर रखना या बदलना, ट्रस्ट का रुपया जमा करना इत्यादि २ सब व्यवस्था संबंधी अधिकार सब ट्रस्टीयोंको या ट्रस्टीयों की मीटिंग में जो २ अधिकार दे दिये जावेंगे उन साहिबों को वह अधिकार रहेंगे. (स्थावर जायदाद बेचने के बारे में ८ जो ट्रस्टीयों में से सात मत होना अनिवार्य होगा. कमती मत होने पर स्थावर जायदाद नहीं बेची जा सकेगी).

१०. स्थावर जायदाद की तरक्की करने को, उसकी मरम्मत करने को, टॅक्स वगैरे देने को उस जायदाद की आमदानी के आठवे हिस्से से अधिक ट्रस्टीलोग नहीं लगावेंगे.

३८२८९

२८-३-[illegible]७०

१२५

श्री वैष्णव सहायक कमेटी इन्दौर [illegible]

[illegible]

१२-५-१९७०

पांच बजे बाद [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

१२-५-१९७०

[illegible]

[illegible] सिटी इंदौर

१ [illegible]

१ [illegible]

१ [illegible]

१ [illegible]

१ [illegible]

१ [illegible]

१ [illegible]

[illegible] यदि या मृत्यु होवे सहेब काम नहीं रहे या

किसी योग्य कारण से काम नहीं रहे या किसी योग्य कारण

से काम नहीं कर सके तो बाकी के ट्रस्टीयों को अधिकार

होगा की उस स्थान की पूर्ती दो माह के अंदर "श्री

वैष्णव सहायक कमेटी" के मेम्बरों में से किसी को

चुन कर देवे, या कमेटी अस्तित्व में रहती नहीं तो "महाराजा

पुरुषोत्तम नाथ मन्दिर के सनातन धर्मी वैष्णवों के व्यापारीयों

में किसी को चुन कर पूर्ती कर देवे.

१२. इस ट्रस्ट डीड में जाहेर किये शर्तों के सिवाय और कोई आवश्यकता होनेपर, ट्रस्टीयों को चाहिये की अपनी सद्बुद्धि से योग्य फैसला आपस में कर लेवे, मगर पांचों प्रकार की संस्थाएं परिशिष्ट (ख) में जाहेर किये गये हैं और जिनके बाबद यह ट्रस्ट डीड किया गया है वे किसी तरह कायम रहेगी, वह रहोबदल इस दस्तावेज में जैसे लिखे प्रकार के सिवाय किसी भी हालत में नहीं हो सकेगा.

१३. इस दस्तावेज से जाहेर किये तमाम जायदाद से संबंध रखने वाले दस्तावेज जो अमानत "श्री वैष्णव सहायक कमेटी" के कब्जे में थे वे सब ट्रस्टीयों को दे दिये गये हैं, उनकी यादी परिशिष्ट (ग) में दी गई है.

[illegible] ट्रस्ट डीड आज तारीख माह [illegible] सन १९[illegible] को हम नीचे सही करने वालों ने अपनी राजी (खुशी से), अपने होश हवास में, उपर लिखा हुआ मंजूर पढ़ के व समझ कर, लिख देकर मंजूर किया सो सही. [illegible] दस्तखत - B.S. [illegible]

गवाह -

[illegible]

1

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

[illegible]